MAY-2023

Shodh Samiksha Aur Mulyankan

International Double Blind Peer Reviewed, Refereed, Multilingual Multidisciplinary & Indexed-
Monthly Research Journal

RNI No. *RAJBIL2009/29954*
ISSN No. (P) *0974-2832*
Impact Factor *6.115(SJIF)*
ISSN No. (E) *2320-5474*

CERTIFICATE OF PUBLICATION

This is to Certify that Research Paper of Prof/Dr/Mr/Smt/Ms.
Dr. SHAHIDA KHAN

Subject
SOCIAL SCENCE

University/College
STANI MEMORIAL PG COLLEGE, MANSAROVAR, JAIPUR

Topic
STRI SASHAKTIKARAN KI DISHA ME AMBEDKAR KA DRASTIKON

The above mentioned paper is accepted after rigorous evaluation through double blind peer review process and going to be published in Issue

A 215, Dori Nagar, Street #7,
Queens Road, Jaipur - 302021

email:Professorkbsingh@gmail.com
website:www.ugcjournal.com

Chief Editor

[illegible]
Research Paper - Sociology

स्त्री सशक्तिकरण की दिशा में अम्बेडकर का दृष्टिकोण

डॉ. शाहिदा खान
असिसटेण्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र स्टैनी मेमोरियल पी.जी. कॉलेज, जयपुर

शोधसारांश – आज के समय मे महिला सशक्तिकरण एक चर्चा का विषय है। खास तौर से पिछडे और प्रगतिशील देशो मे क्योंकि उन्हे इस बात का काफी बाद मे ज्ञान हुआ कि बिना महिलाओ की तरक्की और सशक्तिकरण के देश की तरक्की संभव नही है। महिला सशक्तिकरण भौतिक या आध्यात्मिक शारीरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओ मे आत्मविश्वास पैदा कर उन्हे सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। वैश्विक स्तर पर नारीवादी आन्दोलनों और यूएनडीपी आदि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओ ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनीतिक अधिकारो को प्राप्त करने मे प्रभावी भूमिका निभायी है।

महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दो मे परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाऐ शक्तिशाली बनती है जिससे वह अपने जीवन से जुडे सभी फैसले स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज मे उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हे सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण मे ये ताकत है कि वो समाज और देश मे बहुत कुछ बदल सके। महिलाओं के सशक्त होने से पूरा समाज अपने आप सशक्त हो जायेगा। महिला सशक्तिकरण से देश मे लैंगिक समानता और आर्थिक तरक्की को प्राप्त किया जा सकता है। महिलाओ को विकास की मुख्य धारा मे लाने के लिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण प्रयास किये।

स्त्री सशक्तिकरण की प्रस्तावना –

हमारा समाज सदियों से मनुवादी संस्कृति से ग्रसित रहा है। मनुस्मृति काल मे नारियो के अपमान और उसके साथ अन्याय की पराकाष्ठा थी।

"रात और दिन कभी भी स्त्री को स्वतंत्र नही होने देना चाहिए उन्हे लैंगिक संबधो द्वारा अपने वश मे रखना चाहिए, बचपन मे पिता, युवावस्था मे पति और बुढापे मे पुत्र उसकी रक्षा करे, स्त्री स्वतंत्र होने के लायक नही है।" –मनुस्मृति (अध्याय 9, 2–3)

मनुस्मृति मे स्त्रियों को जड मूर्ख और कपटी स्वभाव का माना गया है और शूद्रों की भांति उन्हे अध्ययन से वंचित रखा गया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के जरिये महिलाओं को वे अधिकार दिये जो मनुस्मृति से नकारे थे। जाति, लिंग और धर्म निरपेक्ष संविधान मे उन्होने सामाजिक न्याय की कल्पना की है।

"मैं एक समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री से मापता हूँ।" – डॉ. भीमराव अम्बेडकर

महिलाओं के उत्थान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कितने गंभीर थे__ ये बताने के लिए उनका ये एक कथन ही काफी है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने नारी सशक्तिकरण के लिए ऐसे काम किए जिससे आज भारतीय महिलाएं अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। 20वीं शताब्दी मे बाबा साहब पहले वो व्यक्ति थे जिन्होने ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को खुली चुनौती दी थी लेकिन विडम्बना देखिए..... इतना सब कुछ करने के बाद भी बाबा साहब भारत मे नारीवाद का चेहरा नही बन पाए। लोगो ने उन्हें सिर्फ दलितो का नेता और संविधान निर्माता तक ही सीमित कर दिया।

भारत मे महिला सशक्तिकरण के असली नायक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। 5 फरवरी, 1951 को डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 'हिन्दू कोड बिल' पेश किया। जिसका मकसद हिन्दू महिलाओ को सामाजिक शोषण से आजाद करना और पुरुषो के बराबर अधिकार दिलाना था। इसी बिल मे महिला सशक्तिकरण की असली व्याख्या है। इस

बिल के जरिये उन्होंने संवैधानिक स्तर से महिला हितों की रक्षा का प्रयास किया, इस बिल के मुख्यतया 4 अंग थे।

1. हिन्दूओं मे बहु विवाह की प्रथा को समाप्त करके केवल एक विवाह का प्रावधान, जो विधिसम्मत हो।
2. महिलाओं को सम्पति मे अधिकार देना और गोद लेने का अधिकार देना।
3. पुरुषो के समान नारियों को भी तलाक का अधिकार देना। हिन्दू समाज मे पहले पुरुष ही तलाक दे सकते थे।
4. आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा के अनुरूप हिन्दू समाज का एकीकृत करके उसे मजबूत करना।

डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि सही मायने मे प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पिता की सम्पत्ति मे बराबरी का हिस्सा मिलेगा। महिलाओं की उन्नति तभी होगी, जब उन्हें परिवार व समाज मे बराबरी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक तरक्की उनकी इस काम मे मदद करेगी।

नारी शिक्षा (महिलाओं को पढ़ने का अधिकार) के लिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने खूब प्रयास किए। बाबा साहब शिक्षा के महत्व को बखूबी जानते थे। पुरुषों के साथ–साथ वे महिलाओं की शिक्षा को भी बहुत जरूरी मानते थे। 1913 मे न्यूयार्क मे एक भाषण देते हुए उन्होंने कहा था –

"माँ–बाप बच्चों को जन्म देते है कर्म नही देते। माँ बच्चों के जीवन को उचित मोड दे सकती है। यह बात अपने मन पर अंकित कर यदि हम लोग अपने लड़को के साथ अपनी लड़कियों को भी शिक्षित करें तो हमारे समाज की उन्नति और तेज होगी।"

बाबा साहब का यह कथन पूरी तरह सच साबित हुआ। आज भारत की लड़कियाँ शिक्षित होकर हवाई जहाज तक उड़ा रही है।

18 जुलाई, 1927 को करीब तीन हजार महिलाओं की एक संगोष्ठी मे बाबा साहब ने कहा था "आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितना कि पुरुषों के लिए। यदि आपको लिखना पढ़ना आता है तो समाज मे आपका उद्धार संभव है। एक पिता का सबसे पहला काम अपने घर मे स्त्रियों को शिक्षा से वंचित न रखने के संबंध मे होना चाहिए। शादी के बाद महिलाएं खुद को गुलाम की तरह महसूस करती है, इसका सबसे बड़ा कारण निरक्षरता है। यदि स्त्रियां भी शिक्षित हो जाए तो उन्हें ये कभी महसूस नहीं होगा।" भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई ज्योतिराव फूले और फातिमा शेख की परम्परा को बाबा साहब ने आगे बढ़ाया और महिलाओं को पढ़ने लिखने की आजादी के लिए भरसक प्रयास किए। उनकी दूरदर्शिता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते है कि भारतीय समाज महिलाओं को चारदीवारी मे कैद रखे हुए था, तब उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव दिलाई। 10 नवम्बर, 1938 को बाबा साहब अम्बेडकर ने 'बॉम्बे लेजिसलेटिव असेम्बली' मे महिलाओं की समस्या से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया।

1942 मे सबसे पहले 'मैटरनिटी बेनेफिट बिल' डॉ. अम्बेडकर द्वारा लाया गया था। उसके बाद 1948 के Employee's State Insurance Act के जरिये महिलाओं को मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की गई। बाबा साहब ने ये काम उस वक्त कर दिया था जब उस जमाने के सबसे ताकतवर मुल्क भी इस मामले मे बहुत पीछे थे। अमेरिका जैसे देश मे 1993 मे Family and Medical Leave । बज बनाकर आधिकारिक रूप से कामकाजी महिलाओं को पेड मैटरनिटी लीव का इंतजाम किया गया था। बाबा साहब बहुत आगे की सोचते थे और उसे हकीकत बना देते थे। भारतीय संविधान के निर्माण के वक्त भी बाबा साहब ने महिलाओं के कल्याण से जुड़े कई प्रस्ताव रखे थे। इसके अलावा महिलाओं की खरीद फरोख्त और शोषण के विरुद्ध भी बाबा साहब ने कानूनी प्रावधान किए।

भारतीय समाज मे लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए उन्होंने बाकायदा संविधान मे लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मनाही का इंतजाम किया। आर्टिकल 14 से 16 मे महिलाओं को समाज मे समान अधिकार देने का भी प्रावधान किया गया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने मे डॉ. अम्बेडकर ने बहुत सराहनीय काम किया।

वयस्क मताधिकार भी डॉ. अम्बेडकर का ही विचार था जिसके लिए उन्होंने 1928 मे साइमन कमीशन से लेकर बाद तक लड़ाई लड़ी। महिलाओं को भी समान मताधिकार दिया गया। स्विट्जरलैंड जैसे देश मे महिलाओं को मताधिकार 1971 मे मिला लेकिन बाबा साहब ने संविधान बनाते वक्त ही महिलाओं को मताधिकार सुनिश्चित कर दिया।

डॉ. अम्बेडकर के विचारों और दृष्टिकोण मे सबसे अहम मंथन का हिस्सा स्त्री सशक्तिकरण था। 25 दिसम्बर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति को सिर्फ इसलिए नहीं जलाया था कि इसमें शूद्रों के बारे मे बहुत बुरी बातें लिखी थी, बल्कि उन्होंने उस किताब को इसलिए भी आग के हवाले किया था क्योंकि उसमें महिलाओं को भी गुलाम बनाने के तरीके लिखे थे।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर सम्पूर्ण जीवन नारी

सशक्तिकरण एवं दलितो के उत्थान के लिए प्रयासरत रहे। डॉ अम्बेडकर ने कहा था "मै नही जानता कि इस दुनिया का क्या होगा। जब बेटियों का जन्म ही नही होगा।" स्त्री सरोकारों के प्रति डॉ. भीमराव अम्बेडकर का समर्पण किसी जुनून से कम नही था। सामाजिक न्याय, सामाजिक पहचान, समान अवसर और संवैधानिक स्वतंत्रता के रूप में स्त्री सशक्तिकरण के लिए उनका योगदान पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जायेगा।

निष्कर्ष एवं उपसंहार

स्त्री सशक्तिकरण मे अहम भूमिका डॉ. अम्बेडकर ने निभाई। ये 'संविधान शिल्पी' के प्रयासो का ही परिणाम है कि भारतीय समाज मे महिलाओं को अवसर प्राप्त हुए। वैसे अब भी कई सामाजिक रूढ़िया महिलाओं के रास्ते की रूकावट है। उन्हे दूर करने के लिए और भारतीय समाज में वास्तव मे स्त्री सशक्तिकरण लाने के लिये महिलाओं के खिलाफ बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणो को समझना और उन्हे हटाना होगा जो कि समाज की पितृसत्तात्मक और पुरुष प्रभाव युक्त व्यवस्था है। जरूरत है कि महिलाओं के खिलाफ पुरानी सोच को बदलें और संवैधानिक और कानूनी प्रावधानो मे और बदलाव लायें।

संदर्भ –

1. महिला सशक्तिकरण – भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा का एक लेख। न्यायदीप लॉ जर्नल।
2. मैथ्यू धामान – अम्बेडकर : सुधार या क्रान्ति, खण्ड पुस्तकें, नई दिल्ली, 1991
3. ललित के सहाय, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर – मैन ऑफ मिलेनियम।
4. शर्मा, संजय प्रकाश – डॉ. बी.आर. अम्बेडकर – सामाजिक न्याय का योद्धा।
5. वर्मा, डॉ. श्री राम – भारतीय राजनीतिक विचारक, कॉलेज बुक सेन्टर, जयपुर।
6. अग्रवाल, डॉ. श्याम मोहन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, आस्था प्रकाशन, जयपुर।
7. वर्मा, डॉ. श्री राम, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, कॉलेज बुक सेन्टर, जयपुर।
8. Gangwal, Dr Sunita, Indian Political Thinkers, College Book Centre, Jaipur
9. Chaturvedi, Inaksha, Representative Indian Political Thinkers, College Book House, Jaipur
10. चतुर्वेदी, डॉ. मधुकर श्याम, चतुर्वेदी, डॉ. इनाक्षी प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, कॉलेज बुक सेन्टर, जयपुर।
11. सागर, डॉ. पुरुषोत्तम, आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन, राज हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।